

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

आपील नंबर सं. १/2016

१/2016


जिला जोधपुर


उनवान के.पी.एन. पाटयारजी, जोधपुर vs. वा.का. गौड़ वृत्त ती जोधपुर

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज श्री के. एल. जैन सदस्य श्री ओमकार सिंह आशिया-सदस्य नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

१.११९

सुनवाई की राह ।
 कर बोर्ड के अपील नंबर १५२/२०१६ जोधपुर में दिने २५ नवंबर २०१६ में विवादित कर की ५ प्रतिशत राशि जमा कराने के आदेश दिए गए थे परन्तु अपीलकर्ता अधिकारी द्वारा ५ प्रतिशत जमा राशि कर बोर्ड के आदेश की पूर्ण शर्तों में होने से और अतिरिक्त राशि जमा कराने का निर्देश देना बताया। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए जाते हैं कि दिनांक १५/११/२०१६ के आदेश अनुसार ५ प्रतिशत राशि जमा होने का विधि किया गया है जब कि वह राशि जमा होने का प्रमाण दिया गया है जो दिनांक १५/११/२०१६ को जमा हुआ है। कि. अनिर्णय आवश्यक राशि जमा होने की धारणा करत हुए अपील का फौजदारी स्वीकार है।
 आदेश का निस्तारण किया।


 सदस्य
 राजस्थान कर बोर्ड
 अजमेर


 सदस्य
 राजस्थान कर बोर्ड
 अजमेर